कुलजीत बाबू बनाम हरियाणा राज्य

369

(हरनरेश सिंह गिल, न्यायमूर्ति)

हरनरेश सिंह गिल न्यायमूर्ति के समक्ष

कुलजीत @बाबलू-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य 2013 का उत्तरदाता

सी. आर. ए.-एस. No.1713-SB

18 मई, 2019

भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. 363 और 366-अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को उससे शादी करने के इरादे से लुभाने का आरोप लगाया-अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोजक बरामद कर लिया गया-अपीलार्थी के विरुद्ध आई. पी. सी. की धारा 363 और 366 के तहत मुकदमा चलाया और दोषी ठहराया-अपील दायर की गई-अनुमति दी गई-आयोजित, अभियोजक द्वारा खुद को कानूनी - चिकित्सकीय जांच कराने से इनकार करने से उसके बयान की सत्यता पर संदेह होता है-स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र स्कूल अधिकारियों से सत्यापित नहीं हुआ-स्कूल से अधिकृत व्यक्ति की जांच नहीं की गई-अपीलार्थी को बरी कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पानीपत के समक्ष 8.7.2011 (Ex.P.7) धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज किये गए अभियोजक के

बयान के अवलोकन से पता चलता है कि अभियोजक ने कहा था कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसके साथ कोई बुरा काम नहीं किया था। फिर भी उक्त बयान में, उसने आगे कहा कि आरोपी ने उससे शादी करने के बहाने लुभाया उसे था। इन दो बातों से अधिक उसने उक्त बयान में कुछ नहीं कहा था। हालाँकि, पी. डब्ल्यू. 2 के रूप में गवाह बॉक्स में कदम रखते हुए, इस गवाह ने कहा कि आरोपी ने उसका शील भंग करने की कोशिश की थी। इस प्रकार, बाद का संस्करण धारा 164 Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए संस्करण के पूरी तरह से विरोधाभासी होने के कारण, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अपने परीक्षण-इन-चीफ में अपना बयान देते समय, अभियोजक ने अपने बयान [आई. डी. 1] में सुधार किया था, यहां तक कि अभियोजक द्वारा खुद को कानूनी रूप से चिकित्सकीय परीक्षण कराने से इनकार करना भी उसके संस्करण की सत्यता पर संदेह पैदा करता है।

(पैरा 14)

आगे देखा गया कि जहां तक स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्तर पर स्कूल के अधिकारियों से इसका सत्यापन नहीं किया था और न ही स्कूल के किसी अधिकृत व्यक्ति ने उक्त प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता साबित करने के लिए गवाह बॉक्स में कदम रखा था।

(पैरा 15)

मोहन लाल सिंगला, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए।

आर. के. सिंगला, ए. ए. जी., हरियाणा।

हरनरेश सिंह गिल, न्यायमूर्ति।

(1) यह अपील विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत द्वारा पारित दिनांक २८.७.२०१२ के फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 363 और 366 के तहत दोषी ठहराया गया था और दिनांक ३१.०७.२०१२ सजा आदेश के तहत सजा का आदेश दिया गया था, जिसके तहत अभियुक्त-अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 366 के तहत सात साल के लिए कठोर कारावास तथा १०,०००/- रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में और एक साल के लिए कठोर कारावास और आई. पी. सी. की धारा 363 के तहत तीन साल के लिए कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना भरने और जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर छह महीने के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी।

(2) अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता मदन लाल ने 6.7.2011 पर पुलिस चौकी किला, पानीपत को इस आशय का आवेदन दिया कि उनके दो बेटे और चार बेटियां हैं।उनमें से, 15 वर्ष की आयु की अभियोजक, उसकी चौथे नंबर की बच्ची थी। वह सेक्टर 29 में एक अचार फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ आरोपी-अपीलार्थी बबलू भी काम

करता था। दिन्नांक २.७.११ को अभियोजक गेहूं का आटा बनाने के लिए वार्ड नंबर 10 में एक आटा मिल में गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई। यह आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी को उक्त बबलू @बालू ने उससे शादी करने के इरादे से लुभाया था। चूंकि शिकायतकर्ता अपनी बेटी का पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने पुलिस से उसे बरामद करने का अनुरोध किया था।

(3) मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई।अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोजक को बरामद कर लिया गया, जिसे बाद में उसके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया।अभियुक्त-अपीलार्थी को अदालत में पेश किया गया।आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद, धारा 173 Cr.P.C के तहत अंतिम रिपोर्ट अदालत के समक्ष दायर की गई थी।

(4) प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, अभियुक्त-याचिकाकर्ता पर आई. पी. सी. की धारा 363 और 366 के तहत आरोप लगाया गया था, जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

(5) अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों के बयान दर्ज किये, जिनमें शिकायतकर्ता मदन लाल को पीडब्लू 1 और अभियोजक को पीडब्लू 2 के रूप में शामिल किया गया था, इसके अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अनुलग्नक पी 1 से पी 15 प्रस्तुत किया गया था।

(6) इस मामले में दो मुख्य गवाह हैं अर्थात पीडब्लू 1 मोहन लाल और पीडब्लू 2-अभियोजन कर्ता। अपनी गवाही में, पीडब्लू1 ने कहा कि आरोपी ने उसकी बेटी को उससे शादी करने के बहाने लुभाया था और उसे गांव सिसाना (बागपत) से आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया था।

(7) पीडब्लू 2- अभियोजन कर्ता ने अपनी गवाही में कहा कि 2.7.2011 को वह उनकी कॉलोनी में स्थित आटा मिल में गेहूं पिसाई के लिए गई थी। अभियुक्त-अपीलार्थी, जो उसे जानता था, ने उसके मुँह पर एक कपड़ा डाल दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गई।जब उसे होश आया, तो उसने खुद को बागपत (यू. पी.) में पाया, जहाँ आरोपी ने उसका शील भंग करने की कोशिश की थी। जब उसने शोर मचाया तो मुँह पर कपड़ा डाले हुए आरोपी उसे खेतों में ले गया, जिसके बाद उसे बागपत की अदालतों में ले जाया गया। हालाँकि, वहाँ मौजूद कुछ अधिवक्ताओं ने उसे बताया कि अभियोजक नाबालिग थी। इसके बाद उसे पानीपत ले जाया गया।पुलिस उसे सिविल अस्पताल, पानीपत ले गई थी, लेकिन अभियोजन कर्ता ने कानूनी रूप से खुद की चिकित्सकीय जांच कराने से इनकार कर दिया। उसने इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज अपने बयान की (Ex.P7) पुष्टि की है। किया गया।

(8) पीडब्लू 3-सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक धरम सिंह जाँच अधिकारी हैं। पी. डब्ल्यू. 4, पी. डब्ल्यू. 6 और पी. डब्ल्यू. 7 औपचारिक गवाह हैं।पीडब्लू 5-डॉ. विकास मौदगिल, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, पानीपत ने अभियुक्त की चिकित्सकीय कानूनी रिपोर्ट (Ex.P.10) की कार्बन कॉपी रिकॉर्ड की पुष्टि की है।पीडब्लू 8-सुनील जिंदल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पानीपत ने धारा 164 Cr.P.C के तहत अभियोजक के बयान को रिकॉर्ड में साबित किया था। (Ex.P.7)।

(9) आवेदक-अभियुक्त का बयान धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था। अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के सभी आरोपों से इनकार किया और गलत फंसाने का अनुरोध किया। हालाँकि, उन्होंने बचाव में कोई सबूत नहीं दिया।

(10) विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर पाया कि भले ही अभियोजक ने आरोपी के साथ जाने के लिए अपनी सहमति दी थी, फिर भी वह 16 वर्ष से कम उम्र की थी, उसकी सहमति मायने नहीं रखती थी। आगे यह पाया गया कि हालाँकि अभियोजक ने अपने बयानों में सुधार किया था, फिर भी आरोपी द्वारा उससे शादी करने के उद्देश्य से उसे ले जाने का तथ्य रिकॉर्ड में साबित हुआ। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवादित निर्णय और आदेश के अनुसार, अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 363 और 366 के तहत दोषी ठहराया गया और तदनुसार सजा सुनाई गई, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

(11) अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील, पीडब्लू 1-मदन लाल और पीडब्लू 2-अभियोजक की गवाही का जिक्र करते हुए तर्क देते हैं कि

गवाहों के बयानों में भौतिक विरोधाभास हैं।अपने स्वयं के बयानों का खंडन करने के अलावा, उक्त गवाहों ने घटना के तरीके, अभियोजक की बरामदगी के स्थान और उसकी उम्र के संबंध में एक-दूसरे का खंडन किया था। जबकि पीडब्लू 1-मदन लाल ने कहा कि उसकी बेटी को आरोपी द्वारा लुभाया गया था और उसे गांव सिसाना, बागपत ले जाया गया था, पीडब्लू 2 (अभियोजक) ने अपने बयान में कहा कि उसे आरोपी द्वारा जिला अदालत बागपत ले जाया गया था और वहां से उसे पानीपत ले जाया गया था। इसके अलावा, अभियोजक ने अपनी गवाही में कहा था कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उसके साथ कोई बुरा काम नहीं किया गया था। इसके अलावा, अभियोजक ने सिविल अस्पताल, सोनीपत ले जाने पर कानूनी रूप से खुद की चिकित्सकीय जांच कराने से इनकार कर दिया था।

(12) यह भी तर्क दिया जाता है कि एफ. आई. आर. दर्ज करने में 4 दिनों की देरी हुई है और इस तरह की देरी का उपयोग विचार-विमर्श और परामर्श के लिए किया गया था ताकि वर्तमान मामले में अभियुक्त-अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाया जा सके। यह पूरी तरह से समझ से परे है कि हरियाणा पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर से अभियोजक की कथित बरामदगी करते हुए बागपत (यू. पी.) पुलिस को सूचित क्यों नहीं करेगी। पुलिस और/या उन्हें इस तथ्य के बारे में सूचित करें कि वह आरोपी-अपीलार्थी की अवैध हिरासत में है और आगे बागपत से उसको बरामद करती है।यह आगे तर्क दिया जाता है कि यह रिकॉर्ड पर साबित

नहीं किया जा सका कि अभियोजक का नशे की हालत में अपहरण किया गया था।

(13) अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर साक्ष्य को देखने के बाद, मुझे लगता है कि वर्तमान अपील में योग्यता है और यह अनुमति देने योग्य है।

(14) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, पानीपत के समक्ष दिनांक 8.7.2011 को 164 Cr.P.C के तहत दर्ज बयान (Ex.P.7) के अवलोकन से पता चलता है कि अभियोजक ने कहा था कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसके साथ कोई बुरा काम नहीं किया था। फिर भी उक्त बयान में, उसने कहा कि आरोपी ने उससे शादी करने के बहाने उसे लुभाया था। इससे अधिक कुछ नहीं कि इन दो बातों को उन्होंने उक्त बयान में कहा था। हालाँकि, पी. डब्ल्यू. 2 के रूप में गवाह बॉक्स में कदम रखते हुए, इस गवाह ने कहा कि आरोपी ने उसका शील भंग करने की कोशिश की थी। इस प्रकार, बाद का संस्करण धारा 164 Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए संस्करण से पूरी तरह से विरोधाभासी होने के कारण, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अपने प्रमुख परीक्षण में अपना बयान देते समय, अभियोजक ने अपने बयान में सुधार किया था। इसके अलावा, जब पुलिस द्वारा सोनीपत के सिविल अस्पताल ले जाया गया तो अभियोजक ने कानूनी रूप से खुद की चिकित्सकीय जांच कराने से इनकार कर दिया। अगर अभियोजक की कानूनी रूप से चिकित्सकीय जांच की जाती तो

(हरनरेश सिंह गिल, जे.)

अभियोजक की जाँच से यह पता चलता कि अभियुक्त द्वारा कथित रूप से उसके शील को आहत करते हुए कथित बल प्रयोग के कारण किसी भी प्रकार की चोट लगी है। इस प्रकार, अभियोजक द्वारा खुद की कानूनी रूप से चिकित्सकीय जांच कराने से इनकार करने से भी उसके बयान की सत्यता पर संदेह पैदा होता है।

(15) जहां तक स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्तर पर स्कूल के अधिकारियों से इसका सत्यापन नहीं किया था और न ही स्कूल के किसी अधिकृत व्यक्ति ने उक्त प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता साबित करने के लिए गवाही दी थी।

(16) उपरोक्त के अलावा, इस न्यायालय ने पाया कि अभियोजक की बरामदगी के सटीक स्थान के संबंध में पीडब्लू 1-मदन लाल और पीडब्लू 2-अभियोजक के बयानों में भौतिक विरोधाभास हैं।शिकायतकर्ता मदन लाल ने पीडब्लू 1 के रूप में पेश होते हुए अपनी जिरह में कहा कि उनकी बेटी को अपीलार्थी-आरोपी के घर से बरामद किया गया था। हालाँकि, इस गवाह ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि उसे उसकी बेटी के अपहरण के बारे में किसने सूचित किया था। शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसे उसी दिन पता चला था कि आरोपी भी उस कारखाने से लापता था जहां वह काम करता था और इस प्रकार उसने कहा कि आरोपी ने उसकी बेटी को लुभाया था। लेकिन 5 दिनों की देरी के बाद यानी 6.7.2011 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

(17) उक्त अवधि का उपयोग विचार-विमर्श और परामर्श के उद्देश्यों के लिए किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब धारा 164 Cr.P.C के तहत अपने बयान में अभियोजक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आरोपी ने उसके साथ कोई बुरा काम नहीं किया था।

(18) इस प्रकार, मेरी राय में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह की छाया से परे आरोपी के खिलाफ अपने मामले को साबित करने में सक्षम था। अभियोजन पक्ष का बयान अत्यधिक संदिग्ध होने के कारण, इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

(19) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 366 और 363 के तहत उसके खिलाफ बनाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

(20) उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

जे. एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण - सथानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है! सभी व्यावहारिक एंड अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा!

ramesh kumar